

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम, हाथरस

पत्रांक- 82 / निविदा / 06 दिनांक- 28.01.2015

:- निविदा सूचना :-

अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ की ओर से निम्नलिखित कार्यों हेतु सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से सीलबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती हैं, निविदा प्रपत्र इस कार्यालय, कार्यालय मुख्य अभियन्ता (आ०क्ष०) उ०प्र० जल निगम, आगरा, कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उ०प्र० जल निगम, अलीगढ़, कार्यालय जिलाधिकारी, हाथरस से दिनांक- 16.02.2015 से 18.02.2015 की अपरान्ह 17:00 बजे तक कार्य दिवस में ड्राफ्ट के माध्यम से क्रय की जा सकती हैं। भरे हुए निविदा प्रपत्र इन्हीं कार्यालयों में दिनांक- 19.02.2015 को अपरान्ह 15:00 बजे तक प्रस्तुत किये जा सकते हैं। प्राप्त निविदायें दिनांक- 21.02.2015 की अपरान्ह 12:30 बजे से शासन के पत्र संख्या- 609/नौ-9-2007-249ज/06 दिनांक- 26 फरवरी, 2007 एवं 4435/छ:पु-14-06-50(7)/2006 दि० 02 नवम्बर, 2006 में दिये गये निर्देशों की प्रक्रिया के अनुसार जिलाधिकारी, हाथरस के कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेंगी।

क्र० सं०	योजना का नाम	निविदा की संख्या	अनु० लागत (रु० लाख में)	धरोहर धनराशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य की प्रस्तावित अवधि	पंजीकरण की श्रेणी
	जनपद-हाथरस के विकास खण्ड-सादाबाद की कुरसण्डा ग्राम पेयजल योजना के अन्तर्गत टर्न के आधार पर निर्माण कार्य मय समस्त सामग्री व लेवर सहित						
<b>1</b>	<b>जोन-तृतीय</b>						
	<b>(ब) पैकेज-2</b>	1					
(i)	वितरण प्रणाली (65एमएम से 80 एमएम व्यास जी०आई० पाइप तथा 100 एमएम से 200 एमएम व्यास डी०आई० के-7)		<b>323.19</b>				
	<b>योग</b>		<b>323.19</b>	<b>360000.00</b>	<b>10000.00+ 12.5% वैट</b>	<b>18 माह</b>	<b>(ए)</b>
<b>2</b>	<b>जोन-द्वितीय</b>						
	<b>(ब) पैकेज-2</b>	1					
(i)	वितरण प्रणाली (65 एमएम से 80 एमएम व्यास जी०आई० पाइप तथा 100 एमएम से 150 एमएम व्यास डी०आई० के-7)		87.76				
	<b>योग</b>		<b>87.76</b>	<b>100000-00</b>	<b>5000.00 + 12.5% वैट</b>	<b>12 माह</b>	<b>(बी)</b>

<b>3</b>	<b>जोन-तृतीय</b>						
	<b>(अ) पैकेज-1</b>	<b>1</b>					
(i)	पम्प हाउस कम क्लोरोनोम		3.90				
(ii)	राइजिंगमेन 150 एमएम व्यास डी0आई0 के-9		58.20				
(iii)	उच्च जलाशय 450 कि0ली0 / 18 मीटर		44.00				
	<b>योग</b>		<b>106.10</b>	<b>120000.00</b>	<b>10000.00 + 12.5% वैट</b>	<b>15 माह</b>	<b>(ए)</b>

**नियम व शर्तें :-**

- निविदाएं जल निगम में उपरोक्तानुसार निर्धारित श्रेणी एवं कैटेगरी में पंजीकृत ठेकेदारों को पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही निर्गत की जायेगी। लेकिन विभाग द्वारा मांगे जाने पर हैसियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, व्यापार कर क्लियरेंस, आयकर क्लियरेंस का मूल प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
- कोई भी एक अथवा समस्त निविदाएं बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
- निविदा के साथ रू0 100.00 मूल्य के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर स्वघोषणा पत्र निर्धारित प्रारूप पर जो निविदा के साथ संलग्न है, प्रत्येक दशा में देना अनिवार्य है, जिसके अभाव में निविदा पर विचार सम्भव नहीं होगा। निविदा स्वीकृति उपरान्त विभागीय आदेशानुसार स्टाम्प ड्यूटी भी देनी होगी।
- धरोहर राशि किसी भी पोस्ट ऑफिस की टी0 डी0 आर0, एन0 एस0 सी0, अथवा किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ0 डी0 आर0, सी0 डी0 आर0, जो अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0 प्र0 जल निगम, हाथरस के पद नाम पर बंधक हो, के रूप में होनी चाहिए। निविदा डाले जाने के समय निर्धारित धरोहर राशि का सीलबन्द लिफाफा पृथक से एवं मूल निविदा प्रपत्र का लिफाफा पृथक से दिया जाना अनिवार्य है, जिस पर कार्य का नाम, आमन्त्रित तिथि, विभाग एवं निविदादाता का नाम एवं पता अंकित हो। धरोहर राशि के अभाव में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- डाक द्वारा निविदा प्रपत्र मंगाने पर प्रत्येक निविदा के लिये रू0 200.00+टी0टी0 अतिरिक्त देना होगा, लेकिन निविदा समय से प्राप्त न होने, अथवा खो जाने का विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
- राज्यवार कौंसिल में पंजीकृत किसी भी अधिवक्ता को ठेकेदारी में भाग लिये जाने की अनुमति नहीं है। यदि यह तथ्य संज्ञान में आता है तो ऐसा ठेका तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा।
- निविदा आमंत्रण एवं खोले जाने की दिनांक में राजकीय अवकाश होने पर स्वतः ही अगले कार्य दिवस में कार्यवाही सम्पन्न होगी।
- उक्त निविदा प्रपत्र दिनांक 16.02.2015 से 18.02.2015 तक किसी भी कार्य दिवस में इस खण्ड के अतिरिक्त अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उ0प्र0 जल निगम, अलीगढ़, मुख्य अभियन्ता (आगरा क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम, आगरा एवं जिलाधिकारी, हाथरस के कार्यालय में भी विक्रय हेतु उपलब्ध रहेंगे एवं निविदा उपरोक्त कार्यालयों में भी डालने हेतु निविदा बॉक्स उपलब्ध रहेगा।
- सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। ऐसी निविदाएं स्वतः ही निरस्त मानी जायेंगी।

10. भुगतान से पूर्व योजना को प्रभारी अभियंता की संतुष्टी के अनुसार सभी प्रकार से पूर्ण करके संबंधित ग्राम पंचायत को हस्तांतरित करने का दायित्व ठेकेदार का होगा।
11. निविदा स्वीकृत होने पर स्वीकृती पत्र में दी गयी निर्धारित अवधि तक अनुबंध की समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण न करने और/अथवा अनुबंध पर हस्ताक्षर न करने की स्थिति में निविदा के साथ जमा की गयी धरोहर राशि विभाग के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
12. उक्त शर्तों के अतिरिक्त निविदादाता द्वारा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये समस्त शासनादेशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में निविदा किसी भी स्तर पर निरस्त की जा सकती है।
13. विभाग में कार्यरत किसी भी कर्मचारी/अधिकारी के निकट संबंधियों को निविदा प्रक्रिया में भाग लेते समय अपने निकट संबंधियों का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करना होगा। किसी भी समय ऐसा कोई तथ्य छिपाये जाने की जानकारी प्राप्त होने पर निविदा/अनुबंध (अनुबंध बन जाने की स्थिति में) अबिलम्ब निरस्त कर दिया जायेगा तथा निविदादाता/ठेकेदार को देय समस्त धनराशि विभाग के हित में जब्त कर ली जायेगी जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता/ठेकेदार का होगा।
14. यदि निविदादाता / ठेकेदार (अनुबंध बन जाने की स्थिति में) द्वारा विभाग को किसी भी समय किसी भी प्रकार की क्षति पहुँचायी जाती है तो विभाग द्वारा उसकी बसूली राजस्व की भाँति की जा सकती है जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता/ठेकेदार का होगा।
15. जिन ठेकेदारों द्वारा विभागीय दरों से कम दरों पर निविदा दी जायेगी उनसे शासनादेश सं० 622/23-12-2012-2 ऑडिट/08 टी०सी० - 2 लखनऊ दिनांक- 08.06.2012 के अनुसार अतिरिक्त परफॉरमेन्स सिक्योरिटी अनिवार्य रूप से ली जायेगी।
16. अनुबंध पूर्ण करने हेतु अपनी समस्त लेबर की बीमा पॉलिसी जमा करना अनिवार्य होगा। ठेकेदार को निविदा स्वीकृति के उपरान्त भवन निर्माण एवं अन्य सन्ननिर्माण कर्मकार एवं सेवा शर्त विनियम (अधिनियम-1996) तथा उ०प्र० नियमावली के अर्न्तगत श्रम उपायुक्त कार्यालय में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
17. आयकर/बिक्रीकर आदि सभी प्रकार के करों की कटौती विभागीय नियमानुसार की जायेगी।
18. निविदा में दी गयी दरों की वैधता निविदा खुलने के दिनांक से 120 दिन तक मान्य होगी।
19. किसी भी ठेकेदार को तीन कार्यों से अधिक की निविदा नहीं बेची जायेगी।

(राकेश कुमार)  
अधिशाली अभियन्ता

पृ० सं०

/निविदा/

उक्त दिनांक-

**प्रतिलिपि उपरोक्त संदर्भ में निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-**

1. जनसम्पर्क अधिकारी, उ०प्र० जल निगम, 6-राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ को छः प्रतियों में सी०डी० सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त निविदा का प्रकाशन राष्ट्रीय एवम् क्षेत्रीय स्तर के समाचार पत्रों में कम से कम दो बार एक दिन के अन्तराल पर एवं जल निगम की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
2. मुख्य अभियन्ता (आ०क्ष०), उ०प्र० जल निगम, आगरा।
3. अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उ०प्र० जल निगम, अलीगढ़।
4. जिलाधिकारी, हाथरस।

5. इन्चार्ज, एन0आई0सी0 कलैक्ट्रेट परिसर, हाथरस को सी0डी0 सहित इस आशय से प्रेषित कि वह इसे बेवसाइट पर प्रदर्शित करने की कृपा करें।
6. अपर जिलाधिकारी, हाथरस।
7. महाप्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम, आगरा।
8. समस्त अधिशासी अभियन्ता (मण्डान्तर्गत)
9. श्री बी0आर0 सिंह, सहायक अभियन्ता (खण्डान्तर्गत) को ड्राफ्ट टैण्डर बनाने हेतु।
10. खण्डीय लेखाकार/जूनियर इंजीनियर (तकनीकी)/मुख्य लिपिक
11. नोटिस बोर्ड/समस्त पंजीकृत ठेकेदार।

अधिशासी अभियन्ता

## कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम, हाथरस

पत्रांक— 82 / निविदा / 06 दिनांक— 28.01.2015

### —: निविदा सूचना :-

अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश जल निगम की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद—हाथरस के विकास खण्ड—सादाबाद की कुरसण्डा पे०यो० के विभिन्न कार्यों हेतु टर्न की आधार पर निविदा की बिक्री दिनांक 16.02.2015 से 18.02.2015 तक कार्यालय समय में कार्यालय मुख्य अभियन्ता (आ०क्षे०), उ०प्र० जल निगम, आगरा, अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उ०प्र० जल निगम, अलीगढ़, जिलाधिकारी, हाथरस एवम् अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से की जायेंगी। निविदा प्रपत्र का मूल्य निविदा सूचना में दिया गया है। निविदा के कार्यों का विस्तृत विवरण जल निगम की वेब साईट [WWW.UPJN.ORG](http://WWW.UPJN.ORG) से अथवा सम्बन्धित कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

(राकेश कुमार)  
अधिशासी अभियन्ता

पृ० सं०

/निविदा/

उक्त दिनांक—

### प्रतिलिपि उपरोक्त संदर्भ में निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. जनसम्पर्क अधिकारी, उ०प्र० जल निगम, 6—राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ को छः प्रतियों में सी०डी० सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त निविदा का प्रकाशन राष्ट्रीय एवम् क्षेत्रीय स्तर के समाचार पत्रों में कम से कम दो बार एक दिन के अन्तराल पर एवं जल निगम की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
2. मुख्य अभियन्ता (आ०क्षे०), उ०प्र० जल निगम, आगरा।
3. अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उ०प्र० जल निगम, अलीगढ़।
4. जिलाधिकारी, हाथरस।
5. इन्चार्ज, एन०आई०सी० कलैक्ट्रेट परिसर, हाथरस को सी०डी० सहित इस आशय से प्रेषित कि वह इसे वेबसाइट पर प्रदर्शित करने की कृपा करें।
6. अपर जिलाधिकारी, हाथरस।
7. महाप्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम, आगरा।
8. समस्त अधिशासी अभियन्ता (मण्डलान्तर्गत)
9. श्री बी०आर० सिंह, सहायक अभियन्ता (खण्डान्तर्गत) को ड्राफ्ट टैण्डर बनाने हेतु।
10. खण्डीय लेखाकार/जूनियर इंजीनियर (तकनीकी)/मुख्य लिपिक
11. नोटिस बोर्ड/समस्त पंजीकृत ठेकेदार।

अधिशासी अभियन्ता

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम, हाथरस

पत्रांक- 81 / निविदा / 05 दिनांक- 28.01.2015

:- निविदा सूचना :-

अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ की ओर से निम्नलिखित कार्यों हेतु सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से सीलबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती हैं, निविदा प्रपत्र इस कार्यालय, कार्यालय मुख्य अभियन्ता (आ0क्षे0) उ0प्र0 जल निगम, आगरा, कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उ0प्र0 जल निगम, अलीगढ़, कार्यालय जिलाधिकारी, हाथरस से दिनांक- 23.02.2015 से 24.02.2015 की अपरान्ह 17:00 बजे तक कार्य दिवस में ड्राफ्ट के माध्यम से क्रय की जा सकती हैं। भरे हुए निविदा प्रपत्र इन्हीं कार्यालयों में दिनांक- 25.02.2015 को अपरान्ह 15:00 बजे तक प्रस्तुत किये जा सकते हैं। प्राप्त निविदायें दिनांक- 27.02.2015 की अपरान्ह 12:30 बजे से शासन के पत्र संख्या- 609/नौ-9-2007-249ज/06 दिनांक- 26 फरवरी, 2007 एवं 4435/छ:पु-14-06-50(7)/2006 दि0 02 नवम्बर, 2006 में दिये गये निर्देशों की प्रक्रिया के अनुसार जिलाधिकारी, हाथरस के कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेंगी।

क्र0 सं0	योजना का नाम	निविदा की संख्या	अनु0 लागत (रू0 लाख में)	धरोहर धनराशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य की प्रस्तावित अवधि	पंजीकरण की श्रेणी
	जनपद-हाथरस के विकास खण्ड-सादाबाद की बिसावर ग्राम पेयजल योजना के अन्तर्गत टर्न के आधार पर निर्माण कार्य मय समस्त सामग्री व लेवर सहित						
<b>1</b>	<b>जोन-प्रथम</b>						
	<b>(अ) पैकेज-1</b>	<b>1</b>					
(i)	पम्प हाउस कम क्लोरोनोम		<b>4.85</b>				
(ii)	राइजिंगमेन 100 एमएम व्यास डी0आई0 के-9		<b>7.70</b>				
(iii)	उच्च जलाशय 300 कि0ली0/18 मीटर		<b>36.20</b>				
(IV)	बारबेड वायर फैंसिंग एवं गेट		<b>7.50</b>				
(V)	रीचार्ज यूनिट		<b>1.20</b>				
	<b>योग</b>		<b>57.45</b>	<b>65000.00</b>	<b>5000.00+</b> <b>12.5% वैट</b>	<b>12 माह</b>	<b>(बी)</b>
	<b>(ब) पैकेज-2</b>	<b>1</b>					
(i)	वितरण प्रणाली एवं तत्सम्बन्धित कार्य (65एमएम से 200 एमएम व्यास		<b>119.10</b>				

	पी0वी0सी0 पाइप (6 कि0ली0/सेमी02)						
	<b>योग</b>		<b>119.10</b>	<b>135000.00</b>	<b>10000.00+ 12.5% वैट</b>	<b>15 माह</b>	<b>(ए)</b>
<b>3</b>	<b>जोन-तृतीय</b>						
	<b>(अ) पैकेज-1</b>	<b>1</b>					
(i)	उच्च जलाशय (500 कि0ली0/20 मी0 स्टेजिंग)		<b>59.70</b>				
(ii)	राइजिंगमेन 100 एमएम व्यास डी0आई0 के-9		<b>17.40</b>				
	<b>योग</b>		<b>77.10</b>	<b>86000.00</b>	<b>5000.00 + 12.5% वैट</b>	<b>12 माह</b>	<b>(ए) एवं (बी)</b>

**नियम व शर्तें :-**

- निविदाएं जल निगम में उपरोक्तानुसार निर्धारित श्रेणी एवं कैटेगरी में पंजीकृत ठेकेदारों को पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही निर्गत की जायेगी। लेकिन विभाग द्वारा मांगे जाने पर हैसियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, व्यापार कर क्लियरेन्स, आयकर क्लियरेन्स का मूल प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
- कोई भी एक अथवा समस्त निविदाएं बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
- निविदा के साथ रू0 100.00 मूल्य के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर स्वघोषणा पत्र निर्धारित प्रारूप पर जो निविदा के साथ संलग्न है, प्रत्येक दशा में देना अनिवार्य है, जिसके अभाव में निविदा पर विचार सम्भव नहीं होगा। निविदा स्वीकृति उपरान्त विभागीय आदेशानुसार स्टाम्प ड्यूटी भी देनी होगी।
- धरोहर राशि किसी भी पोस्ट ऑफिस की टी0 डी0 आर0, एन0 एस0 सी0, अथवा किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ0 डी0 आर0, सी0 डी0 आर0, जो अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0 प्र0 जल निगम, हाथरस के पद नाम पर बंधक हो, के रूप में होनी चाहिए। निविदा डाले जाने के समय निर्धारित धरोहर राशि का सीलबन्द लिफाफा पृथक से एवं मूल निविदा प्रपत्र का लिफाफा पृथक से दिया जाना अनिवार्य है, जिस पर कार्य का नाम, आमन्त्रित तिथि, विभाग एवं निविदादाता का नाम एवं पता अंकित हो। धरोहर राशि के अभाव में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- डाक द्वारा निविदा प्रपत्र मंगाने पर प्रत्येक निविदा के लिये रू0 200.00+टी0टी0 अतिरिक्त देना होगा, लेकिन निविदा समय से प्राप्त न होने, अथवा खो जाने का विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
- राज्यवार कौंसिल में पंजीकृत किसी भी अधिवक्ता को ठेकेदारी में भाग लिये जाने की अनुमति नहीं है। यदि यह तथ्य संज्ञान में आता है तो ऐसा ठेका तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा।
- निविदा आमंत्रण एवं खोले जाने की दिनांक में राजकीय अवकाश होने पर स्वतः ही अगले कार्य दिवस में कार्यवाही सम्पन्न होगी।
- उक्त निविदा प्रपत्र दिनांक 23.02.2015 से 24.02.2015 तक किसी भी कार्य दिवस में इस खण्ड के अतिरिक्त अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उ0प्र0 जल निगम, अलीगढ़, मुख्य अभियन्ता (आगरा क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम, आगरा एवं जिलाधिकारी, हाथरस के कार्यालय में भी विक्रय हेतु उपलब्ध रहेंगे एवं निविदा उपरोक्त कार्यालयों में भी डालने हेतु निविदा बॉक्स उपलब्ध रहेगा।

9. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। ऐसी निविदाएँ स्वतः ही निरस्त मानी जायेंगी।
10. भुगतान से पूर्व योजना को प्रभारी अभियंता की संतुष्टी के अनुसार सभी प्रकार से पूर्ण करके सम्बंधित ग्राम पंचायत को हस्तांतरित करने का दायित्व ठेकेदार का होगा।
11. निविदा स्वीकृत होने पर स्वीकृती पत्र में दी गयी निर्धारित अवधि तक अनुबंध की समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण न करने और/अथवा अनुबंध पर हस्ताक्षर न करने की स्थिति में निविदा के साथ जमा की गयी धरोहर राशि विभाग के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
12. उक्त शर्तों के अतिरिक्त निविदादाता द्वारा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये समस्त शासनादेशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में निविदा किसी भी स्तर पर निरस्त की जा सकती है।
13. विभाग में कार्यरत किसी भी कर्मचारी/अधिकारी के निकट संबंधियों को निविदा प्रक्रिया में भाग लेते समय अपने निकट संबंधियों का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करना होगा। किसी भी समय ऐसा कोई तथ्य छिपाये जाने की जानकारी प्राप्त होने पर निविदा/अनुबंध (अनुबंध बन जाने की स्थिति में) अबिलम्ब निरस्त कर दिया जायेगा तथा निविदादाता/ठेकेदार को देय समस्त धनराशि विभाग के हित में जब्त कर ली जायेगी जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता/ठेकेदार का होगा।
14. यदि निविदादाता / ठेकेदार (अनुबंध बन जाने की स्थिति में) द्वारा विभाग को किसी भी समय किसी भी प्रकार की क्षति पहुँचायी जाती है तो विभाग द्वारा उसकी बसूली राजस्व की भाँति की जा सकती है जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता/ठेकेदार का होगा।
15. जिन ठेकेदारों द्वारा विभागीय दरों से कम दरों पर निविदा दी जायेगी उनसे शासनादेश सं0 622/23-12-2012-2 ऑडिट/08 टी0सी0 - 2 लखनऊ दिनांक- 08.06.2012 के अनुसार अतिरिक्त परफॉरमेन्स सिक्योरिटी अनिवार्य रूप से ली जायेगी।
16. अनुबंध पूर्ण करने हेतु अपनी समस्त लेबर की बीमा पॉलिसी जमा करना अनिवार्य होगा। ठेकेदार को निविदा स्वीकृति के उपरान्त भवन निर्माण एवं अन्य सन्ननिर्माण कर्मकार एवं सेवा शर्त विनियम (अधिनियम-1996) तथा उ0प्र0 नियमावली के अर्न्तगत श्रम उपायुक्त कार्यालय में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
20. आयकर/बिक्रीकर आदि सभी प्रकार के करों की कटौती विभागीय नियमानुसार की जायेगी।
21. निविदा में दी गयी दरों की वैधता निविदा खुलने के दिनांक से 120 दिन तक मान्य होगी।
22. किसी भी ठेकेदार को तीन कार्यों से अधिक की निविदा नहीं बेची जायेगी।

(राकेश कुमार)  
अधिशासी अभियन्ता

पृ0 सं0

/निविदा/

उक्त दिनांक-

**प्रतिलिपि उपरोक्त संदर्भ में निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-**

1. जनसम्पर्क अधिकारी, उ0प्र0 जल निगम, 6-राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ को छः प्रतियों में सी0डी0 सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त निविदा का प्रकाशन राष्ट्रीय एवम् क्षेत्रीय स्तर के समाचार पत्रों में कम से कम दो बार एक दिन के अन्तराल पर एवं जल निगम की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
2. मुख्य अभियन्ता (आ0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम, आगरा।
3. अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उ0प्र0 जल निगम, अलीगढ़।
4. जिलाधिकारी, हाथरस।
5. इन्चार्ज, एन0आई0सी0 कलैक्ट्रेट परिसर, हाथरस को सी0डी0 सहित इस आशय से प्रेषित कि वह इसे वेबसाइट पर प्रदर्शित करने की कृपा करें।
6. अपर जिलाधिकारी, हाथरस।



7. महाप्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम, आगरा।
8. समस्त अधिशासी अभियन्ता (मण्डान्तर्गत)
9. श्री बी०आर० सिंह, सहायक अभियन्ता (खण्डान्तर्गत) को ड्राफ्ट टैण्डर बनाने हेतु।
10. खण्डीय लेखाकार/जूनियर इंजीनियर (तकनीकी)/मुख्य लिपिक
11. नोटिस बोर्ड/समस्त पंजीकृत ठेकेदार।

अधिशासी अभियन्ता

## कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम, हाथरस

पत्रांक- 81 / निविदा / 05 दिनांक- 28.01.2015

### -: निविदा सूचना :-

अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश जल निगम की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद-हाथरस के विकास खण्ड-सादाबाद की बिसावर पे०यो० के विभिन्न कार्यों हेतु टर्न की आधार पर निविदा की बिक्री दिनांक 23.02.2015 से 24.02.2015 तक कार्यालय समय में कार्यालय मुख्य अभियन्ता (आ०क्ष०), उ०प्र० जल निगम, आगरा, अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उ०प्र० जल निगम, अलीगढ़, जिलाधिकारी, हाथरस एवम् अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से की जायेंगी। निविदा प्रपत्र का मूल्य निविदा सूचना में दिया गया है। निविदा के कार्यों का विस्तृत विवरण जल निगम की वेब साईट [WWW.UPJN.ORG](http://WWW.UPJN.ORG) से अथवा सम्बन्धित कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

(राकेश कुमार)  
अधिशासी अभियन्ता

पृ० सं०

/निविदा/

उक्त दिनांक-

### प्रतिलिपि उपरोक्त संदर्भ में निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जनसम्पर्क अधिकारी, उ०प्र० जल निगम, 6-राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ को छः प्रतियों में सी०डी० सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त निविदा का प्रकाशन राष्ट्रीय एवम् क्षेत्रीय स्तर के समाचार पत्रों में कम से कम दो बार एक दिन के अन्तराल पर एवं जल निगम की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
2. मुख्य अभियन्ता (आ०क्ष०), उ०प्र० जल निगम, आगरा।
3. अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उ०प्र० जल निगम, अलीगढ़।
4. जिलाधिकारी, हाथरस।
5. इन्चार्ज, एन०आई०सी० कलैक्ट्रेट परिसर, हाथरस को सी०डी० सहित इस आशय से प्रेषित कि वह इसे वेबसाइट पर प्रदर्शित करने की कृपा करें।
6. अपर जिलाधिकारी, हाथरस।
7. महाप्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम, आगरा।
8. समस्त अधिशासी अभियन्ता (मण्डान्तर्गत)
9. श्री बी०आर० सिंह, सहायक अभियन्ता (खण्डान्तर्गत) को ड्राफ्ट टैण्डर बनाने हेतु।
10. खण्डीय लेखाकार/जूनियर इंजीनियर (तकनीकी)/मुख्य लिपिक
11. नोटिस बोर्ड/समस्त पंजीकृत ठेकेदार।

अधिशासी अभियन्ता

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम, हाथरस

पत्रांक- 80 / निविदा / 04 दिनांक- 28.01.2015

:- निविदा सूचना :-

अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ की ओर से निम्नलिखित कार्यों हेतु सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से सीलबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती हैं, निविदा प्रपत्र इस कार्यालय, कार्यालय मुख्य अभियन्ता (आ०क्ष०) उ०प्र० जल निगम, आगरा, कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उ०प्र० जल निगम, अलीगढ़, कार्यालय जिलाधिकारी, हाथरस से दिनांक- 09.02.2015 से 10.02.2015 की अपरान्ह 17:00 बजे तक कार्य दिवस में ड्राफ्ट के माध्यम से क्रय की जा सकती हैं। भरे हुए निविदा प्रपत्र इन्हीं कार्यालयों में दिनांक- 11.02.2015 को अपरान्ह 15:00 बजे तक प्रस्तुत किये जा सकते हैं। प्राप्त निविदायें दिनांक- 13.02.2015 की अपरान्ह 12:30 बजे से शासन के पत्र संख्या- 609/नौ-9-2007-249ज/06 दिनांक- 26 फरवरी, 2007 एवं 4435/छ:पु-14-06-50(7)/2006 दि० 02 नवम्बर, 2006 में दिये गये निर्देशों की प्रक्रिया के अनुसार जिलाधिकारी, हाथरस के कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेंगी।

क्र० सं०	योजना का नाम	निविदा की संख्या	अनु० लागत (रु० लाख में)	धरोहर धनराशि (रु० लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु० में)	कार्य की प्रस्तावित अवधि	पंजीकरण की श्रेणी
1	जनपद-हाथरस के विकास खण्ड-सासनी की तिलौठी ग्राम पेयजल योजना के अन्तर्गत टर्न की आधार पर निर्माण कार्य मय समस्त सामग्री व लेवर सहित						
	<b>पैकेज-1</b>						
(i)	अवर जलाशय (400 कि० ली० / 14 मी०)		<b>35.051</b>				
(ii)	राइजिंगमेन		<b>10.963</b>				
	<b>योग</b>		<b>46.014</b>	<b>0.60</b>	<b>5000.00+ 12.5% वैट</b>	<b>12 माह</b>	<b>(ए)</b>
	<b>पैकेज-2</b>						
(i)	वितरण प्रणाली		<b>97.309</b>				
	<b>योग</b>		<b>97.309</b>	<b>1.50</b>	<b>5000.00+ 12.5% वैट</b>	<b>12 माह</b>	<b>(ए)</b>
2	जनपद-हाथरस के विकास खण्ड-सिकन्दाराऊ की बरईशाहपुर ग्राम पेयजल योजना के अन्तर्गत टर्न के आधार पर निर्माण कार्य मय समस्त सामग्री व लेवर सहित						
	वितरण प्रणाली (63एमएम से 200 एमएम व्यास पी०वी०सी० पाइप तथा 250 एमएम व्यास	<b>1</b>	<b>39.50</b>				

	डी0आई0 के-7)					
	योग		46.50	70000.00	5000.00+ 12.5% वैट	03 माह (बी)

**नियम व शर्तें :-**

1. निविदाएं जल निगम में उपरोक्तानुसार निर्धारित श्रेणी एवं कैटेगरी में पंजीकृत ठेकेदारों को पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही निर्गत की जायेगी। लेकिन विभाग द्वारा मांगे जाने पर हैसियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, व्यापार कर क्लीयरेन्स, आयकर क्लीयरेन्स का मूल प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
2. कोई भी एक अथवा समस्त निविदाएं बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
3. निविदा के साथ रू0 100.00 मूल्य के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर स्वघोषणा पत्र निर्धारित प्रारूप पर जो निविदा के साथ संलग्न है, प्रत्येक दशा में देना अनिवार्य है, जिसके अभाव में निविदा पर विचार सम्भव नहीं होगा। निविदा स्वीकृति उपरान्त विभागीय आदेशानुसार स्टाम्प ड्यूटी भी देनी होगी।
4. धरोहर राशि किसी भी पोस्ट ऑफिस की टी0 डी0 आर0, एन0 एस0 सी0, अथवा किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ0 डी0 आर0, सी0 डी0 आर0, जो अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0 प्र0 जल निगम, हाथरस के पद नाम पर बंधक हो, के रूप में होनी चाहिए। निविदा डाले जाने के समय निर्धारित धरोहर राशि का सीलबन्द लिफाफा पृथक से एवं मूल निविदा प्रपत्र का लिफाफा पृथक से दिया जाना अनिवार्य है, जिस पर कार्य का नाम, आमन्त्रित तिथि, विभाग एवं निविदादाता का नाम एवं पता अंकित हो। धरोहर राशि के अभाव में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
5. डाक द्वारा निविदा प्रपत्र मंगाने पर प्रत्येक निविदा के लिये रू0 200.00+टी0टी0 अतिरिक्त देना होगा, लेकिन निविदा समय से प्राप्त न होने, अथवा खो जाने का विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
6. राज्यवार कौंसिल में पंजीकृत किसी भी अधिवक्ता को ठेकेदारी में भाग लिये जाने की अनुमति नहीं है। यदि यह तथ्य संज्ञान में आता है तो ऐसा ठेका तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा।
7. निविदा आमंत्रण एवं खोले जाने की दिनांक में राजकीय अवकाश होने पर स्वतः ही अगले कार्य दिवस में कार्यवाही सम्पन्न होगी।
8. उक्त निविदा प्रपत्र दिनांक 09.02.2015 से 10.02.2015 तक किसी भी कार्य दिवस में इस खण्ड के अतिरिक्त अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उ0प्र0 जल निगम, अलीगढ़, मुख्य अभियन्ता (आगरा क्षे0), उ0प्र0 जल निगम, आगरा एवं जिलाधिकारी, हाथरस के कार्यालय में भी विक्रय हेतु उपलब्ध रहेंगे एवं निविदा उपरोक्त कार्यालयों में भी डालने हेतु निविदा बॉक्स उपलब्ध रहेगा।
9. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। ऐसी निविदाएं स्वतः ही निरस्त मानी जायेंगी।
10. भुगतान से पूर्व योजना को प्रभारी अभियन्ता की संतुष्टी के अनुसार सभी प्रकार से पूर्ण करके सम्बंधित ग्राम पंचायत को हस्तांतरित करने का दायित्व ठेकेदार का होगा।
11. निविदा स्वीकृत होने पर स्वीकृति पत्र में दी गयी निर्धारित अवधि तक अनुबंध की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण न करने और/अथवा अनुबंध पर हस्ताक्षर न करने की स्थिति में निविदा के साथ जमा की गयी धरोहर राशि विभाग के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
12. उक्त शर्तों के अतिरिक्त निविदादाता द्वारा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये समस्त शासनादेशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में निविदा किसी भी स्तर पर निरस्त की जा

सकती है ।

13. विभाग में कार्यरत किसी भी कर्मचारी/अधिकारी के निकट संबंधियों को निविदा प्रक्रिया में भाग लेते समय अपने निकट संबंधियों का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करना होगा। किसी भी समय ऐसा कोई तथ्य छिपाये जाने की जानकारी प्राप्त होने पर निविदा/अनुबंध (अनुबंध बन जाने की स्थिति में) अबिलम्ब निरस्त कर दिया जायेगा तथा निविदादाता/ठेकेदार को देय समस्त धनराशि विभाग के हित में जब्त कर ली जायेगी जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता/ठेकेदार का होगा।
14. यदि निविदादाता / ठेकेदार (अनुबंध बन जाने की स्थिति में) द्वारा विभाग को किसी भी समय किसी भी प्रकार की क्षति पहुँचायी जाती है तो विभाग द्वारा उसकी बसूली राजस्व की भाँति की जा सकती है जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता/ठेकेदार का होगा।
15. जिन ठेकेदारों द्वारा विभागीय दरों से कम दरों पर निविदा दी जायेगी उनसे शासनादेश सं0 622/23-12-2012-2 ऑडिट/08 टी0सी0 - 2 लखनऊ दिनांक- 08.06.2012 के अनुसार अतिरिक्त परफॉरमेन्स सिक्योरिटी अनिवार्य रूप से ली जायेगी।
16. अनुबंध पूर्ण करने हेतु अपनी समस्त लेबर की बीमा पॉलिसी जमा करना अनिवार्य होगा। ठेकेदार को निविदा स्वीकृति के उपरान्त भवन निर्माण एवं अन्य सन्ननिर्माण कर्मकार एवं सेवा शर्त विनियम (अधिनियम-1996) तथा उ0प्र0 नियमावली के अर्न्तगत श्रम उपायुक्त कार्यालय में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
23. आयकर/बिक्रीकर आदि सभी प्रकार के करों की कटौती विभागीय नियमानुसार की जायेगी।
24. निविदा में दी गयी दरों की वैधता निविदा खुलने के दिनांक से 120 दिन तक मान्य होगी।
25. किसी भी ठेकेदार को तीन कार्यों से अधिक की निविदा नहीं बेची जायेगी।

(राकेश कुमार)  
अधिशाली अभियन्ता

पृ0 सं0

/निविदा/

उक्त दिनांक-

**प्रतिलिपि उपरोक्त संदर्भ में निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-**

1. जनसम्पर्क अधिकारी, उ0प्र0 जल निगम, 6-राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ को छः प्रतियों में सी0डी0 सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त निविदा का प्रकाशन राष्ट्रीय एवम् क्षेत्रीय स्तर के समाचार पत्रों में कम से कम दो बार एक दिन के अन्तराल पर एवं जल निगम की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
2. मुख्य अभियन्ता (आ0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम, आगरा।
3. अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उ0प्र0 जल निगम, अलीगढ़।
4. जिलाधिकारी, हाथरस।
5. इन्चार्ज, एन0आई0सी0 कलैक्ट्रेट परिसर, हाथरस को सी0डी0 सहित इस आशय से प्रेषित कि वह इसे वेबसाइट पर प्रदर्शित करने की कृपा करें।
6. अपर जिलाधिकारी, हाथरस।
7. महाप्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम, आगरा।
8. समस्त अधिशाली अभियन्ता (मण्डान्तर्गत)
9. श्री बी0आर0 सिंह, सहायक अभियन्ता (खण्डान्तर्गत) को ड्राफ्ट टैण्डर बनाने हेतु।
10. खण्डीय लेखाकार/जूनियर इंजीनियर (तकनीकी)/मुख्य लिपिक
11. नोटिस बोर्ड/समस्त पंजीकृत ठेकेदार।

अधिशाली अभियन्ता

## कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम, हाथरस

पत्रांक- 80 / निविदा / 04 दिनांक- 28.01.2015

### -: निविदा सूचना :-

अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश जल निगम की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद-हाथरस के विकास खण्ड-सासनी की तिलौठी ग्राम पे०यो० एवं वि०ख० सिकन्दाराऊ की बरई शाहपुर पेयजल योजना के विभिन्न कार्यों हेतु टर्न की आधार पर निविदा की बिक्री दिनांक 09.02.2015 से 10.02.2015 तक कार्यालय समय में कार्यालय मुख्य अभियन्ता (आ०क्ष०), उ०प्र० जल निगम, आगरा, अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उ०प्र० जल निगम, अलीगढ़, जिलाधिकारी, हाथरस एवम् अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से की जायेंगी। निविदा प्रपत्र का मूल्य निविदा सूचना में दिया गया है। निविदा के कार्यों का विस्तृत विवरण जल निगम की वेब साईट [WWW.UPJN.ORG](http://WWW.UPJN.ORG) से अथवा सम्बन्धित कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

(राकेश कुमार)  
अधिशासी अभियन्ता

पृ० सं०

/निविदा/

उक्त दिनांक-

### प्रतिलिपि उपरोक्त संदर्भ में निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जनसम्पर्क अधिकारी, उ०प्र० जल निगम, 6-राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ को छः प्रतियों में सी०डी० सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त निविदा का प्रकाशन राष्ट्रीय एवम् क्षेत्रीय स्तर के समाचार पत्रों में कम से कम दो बार एक दिन के अन्तराल पर एवं जल निगम की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
2. मुख्य अभियन्ता (आ०क्ष०), उ०प्र० जल निगम, आगरा।
3. अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उ०प्र० जल निगम, अलीगढ़।
4. जिलाधिकारी, हाथरस।
5. इन्चार्ज, एन०आई०सी० कलैक्ट्रेट परिसर, हाथरस को सी०डी० सहित इस आशय से प्रेषित कि वह इसे वेबसाइट पर प्रदर्शित करने की कृपा करें।
6. अपर जिलाधिकारी, हाथरस।
7. महाप्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम, आगरा।
8. समस्त अधिशासी अभियन्ता (मण्डलान्तर्गत)
9. श्री बी०आर० सिंह, सहायक अभियन्ता (खण्डान्तर्गत) को ड्राफ्ट टैण्डर बनाने हेतु।
10. खण्डीय लेखाकार/जूनियर इंजीनियर (तकनीकी)/मुख्य लिपिक
11. नोटिस बोर्ड/समस्त पंजीकृत ठेकेदार।

अधिशासी अभियन्ता